

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हमीरपुर, फिरोजाबाद, सन्तकबीरनगर एवं इटावा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1210/एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी-3, दिनांक 09 जुलाई, 2021 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा मानव वन्य-जीव द्वन्द्व आदि से प्रभावित परिवारों को राहत सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद हमीरपुर, फिरोजाबाद, सन्तकबीरनगर एवं इटावा को रू० 1,55,00,000/- (रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के मद-09 से आवंटित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में त्रुटिवश शासनादेश संख्या-1293 के स्थान पर शासनादेश संख्या-1210 अंकित हो गया है। अतः शासनादेश संख्या-1210 के स्थान पर शासनादेश संख्या-1293 पढ़ा जाए।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 09.7.2021 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

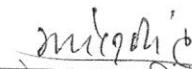
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1301(1)/एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

A